कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4—सुभाष रोड़, देहरादून —248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
election09@gmail.com

फोन न0 (0135) — 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) — 2713724

संख्या— 1160 /XXV — 12 (4)/ 2025 देहरादून : दिनांक 15 जुलाई, 2026

EVM & VVPAT में प्रयुक्त प्लास्टिक बॉक्स में उपलब्ध अल्कालाईन अनुपयोगी निष्प्रयोज्य बैट्रियों (प्लॉस्टिक बॉक्स सहित) के निस्तारण हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना।

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या—52/2/Prep/2021/EMS दिनांक 26 अक्टूबर, 2022 में जारी दिशा—निर्देशों के अनुपालन में, उत्तराखण्ड राज्य के गढ़वाल मण्डल के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय हरिद्वार (रोशनाबाद) तथा कुमायूँ मण्डल के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ऊधमसिंह नगर (रूद्रपुर) में उपलब्ध कुल—रू0 1,06,858 (एक लाख छः हजार आठ सौ अट्ठावन), जो घट अथवा बढ़ सकती हैं तथा जहां है जैसी है स्थिति में उपलब्ध EVM & VVPAT में प्रयुक्त, अनुपयोगी तथा निष्प्रयोज्य हो चुकी प्लॉस्टिक बॉक्स में उपलब्ध अल्कालाईन बैट्रियों के निस्तारण हेतु (प्लॉस्टिक बॉक्स सहित) किसी भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत/अधिकृत संग्रहकर्ताओं/नष्टीकरणकर्ताओं/पुनर्चक्रणकर्ताओं आदि से सीलबंद बोलियां आमंत्रित की जाती है।

2— EVM & VVPAT में प्रयुक्त, अनुपयोगी तथा निष्प्रयोज्य हो चुकी प्लॉस्टिक बॉक्स में उपलब्ध अल्कालाईन बैट्रियां (प्लॉस्टिक बॉक्स सहित) राज्य के जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर के जिला निर्वाचन कार्यालय भण्डार में जहां है जैसी है स्थिति में उठायी जाएगी, और केन्द्री प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या किसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2022 में जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से इनका निस्तारण किया जाएगा।

3— जीएसटी पंजीकृत एवं उक्तानुसार केन्द्र अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत इच्छुक बोलीदाता द्वारा सीलबंद बोली नियत समय—सारिणी के अनुसार व्यक्तिगत रूप से, पंजीकृत डाक अथवा कूरियर के माध्यम से **मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, प्रथम तल, विश्वकर्मा भवन, सचिवालय परिसर, सुभाषरोड़ देहरादून** के कक्ष संख्या—105 में **दिनांक 31 जुलाई, 2026 को अपरान्ह 02:00 बजे तक (किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समय) में प्रस्तुत की जा सकती है।**

इच्छुक बोलीदाता उक्त के संबंध में अन्य विस्तृत निर्देश/जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड की विभागीय वेबसाईट https://ceo.uk.gov.in/ पर देखी जा सकती/डाउनलोड की जा सकती है।

(डा. विजय कुमार जोगदण्डे)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि :—

1— समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को सर्व साधारण की जानकारी के लिए अपने कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

2— मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूचना पट/विभागीय वेबसाईट https://ceo.uk.gov.in/ पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

EVM & VVPAT में प्रयुक्त प्लास्टिक बॉक्स में उपलब्ध अल्कालाईन निष्प्रयोज्य बैट्रियों के निस्तारण हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तें।

क्रं.सं.	विवरण / विषय वस्तु	निर्धारित दिनांक
1.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की विभागीय वेबसाईट https://ceo.uk.gov.in/ पर उक्त प्रयोजन हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना एवं निर्देश उपलब्ध होने तथा डाउनलोड करने की प्रारम्भ तिथि ।	दिनांक .15...जुलाई, 2026 पूर्वान्ह 11:00 बजे से
2.	EVM & VVPAT में प्रयुक्त प्लास्टिक बॉक्स में उपलब्ध अल्कालाईन निष्प्रयोज्य बैट्रियों (प्लॉस्टिक बॉक्स सहित) के निस्तारण हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना के संबंध में इच्छुक बोलीदाताओं के साथ, बोली पूर्व बैठक (प्रि–बिड मीटिंग) **ऑनलाईन लिंक :– https://meet.google.com/iud-kqqt-hei**	दिनांक 21...जुलाई, 2026 पूर्वान्ह 11:00 बजे से
3.	उक्त के संबंध में जीएसटी पंजीकृत तथा किसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत / अधिकृत संग्रहकर्ताओं / नष्टीकरणकर्ताओं पुनर्चक्रणकर्ताओं आदि के लिए पंजीकृत इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा विधिवत सीलबंद बोली व्यक्तिगत रूप से, पंजीकृत डाक अथवा कूरियर के माध्यम से प्रस्तुत करना (दो सील्ड लिफाफे एक में तकनीकी प्रस्ताव तथा दूसरे में वित्तीय प्रस्ताव दोनों अलग–अलग सील्ड लिफाफे एक बड़े सील्ड लिफाफे में रखे होने चाहिए)	**दिनांक 31 जुलाई, 2026 अपरान्ह 02:00 बजे तक**
4.	विभागीय समिति द्वारा, निर्धारित तिथि, समय के अन्दर प्राप्त सीलबंद बोलियों की तकनीकी प्रस्ताव सम्बन्धी लिफाफों को, इच्छुक बोलीदाताओं के सम्मुख (यदि कोई उपस्थित हो) खोला जाना।	**दिनांक 31 जुलाई, 2026 अपरान्ह 4:00 बजे**
5.	विभागीय समिति द्वारा वित्तीय प्रस्ताव से संबंधित सील्ड लिफाफे को खोला जाना।	नियमानुसार तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात मु.नि.अ. महोदय की अनुमति के फलस्वरूप यथा समय।

2– तकनीकी प्रस्ताव सम्बन्धी सील्ड लिफाफे के अन्दर स्वप्रमाणित / हस्ताक्षरित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

2.1– जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति।

2.2– फर्म अथवा फर्म स्वामी के पैन कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति।

2.3– इच्छुक बोलीदाता को भारत सरकार / किसी भी राज्य सरकार / पी.एस.यू. से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए इसके संबंध में बोलीदाता को रू0 **100.00 के नॉन जूडिशियल** स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित निम्न तीन बिन्दुओं पर निर्धारित शपथ–पत्र मूल रूप में ***तकनीकी प्रस्ताव के साथ*** प्रस्तुत करना होगा कि:–

1– फर्म आदि किसी भी राज्य में ब्लेक लिस्टेड नहीं है और न ही उसकी जमानत की धनराशि को जब्त किया गया है।

2– किसी भी सरकारी विभाग / पी.एस.यू. में किसी भी प्रकार का कोई विधिक विवाद प्रचलित नहीं है।

3— तकनीकी प्रस्ताव के साथ बोलीदाता फर्म आदि द्वारा प्रस्तुत सभी सूचनाएं/अभिलेख सत्य हैं और कोई भी सूचना, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था छिपाई नहीं गई है।

2.4— बैट्री/ई—कचरे के संग्रहण/नष्टीकरण अथवा पुनर्चक्रण आदि के सम्बन्ध में किसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण/अधिकृत होने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी तथा वर्तमान में बैध प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति।

2.5— **Annexure-1** बोलीदाता सूचना पत्रक पर विस्तृत विवरण मूल में बोलीदाता द्वारा स्व हस्ताक्षरित प्रति।

2.6— बोली में प्रतिभाग किए जाने हेतु EMD के रूप में रू0 **30.00 हजार (रू0 तीस हजार हजार)** मात्र की धनराशि, किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से तैयार सावधि जमा रसीद, या बैंक गारण्टी, या राष्ट्रीय बचत पत्र (मूल में) जो मुख्य **निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड** (Chief Electoral Officer Uttarakhand) के पक्ष में बंधक हो और उसकी न्यूनत्तम बैधता 90 दिन हो।

2.7— विगत तीन वित्तीय वर्षों यथा 2023—24, 2024—25 एवं 2025—26 में बोलीदाता फर्म आदि के टर्न ओवर (न्यूनत्तम रू0 5.00 लाख प्रति वर्ष) होना चाहिए तथा पॉजीटिव नेटवर्थ होनी चाहिए, टर्नओवर तथा नेटवर्थ के सम्बन्ध में सी.ए. द्वारा सम्प्रीक्षित तथा हस्ताक्षरित बैलेंस शीट, जिस पर बोलीदाता द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए हों की प्रति।

2.8— वित्तीय वर्ष—2024—25 तक जमा आयकर रिटर्न से संबंधित अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति।

2.9— तकनीकी प्रस्ताव सम्बन्धी लिफाफे के बाहर शीर्ष में **''EVM & VVPAT बैट्रियों के निस्तारण हेतु तकनीकी प्रस्ताव'' लिखा होना चाहिए।** तथा लिफाफे पर फर्म का नाम और मुहर भी होनी चाहिए।

2.10— बोली में सम्मिलित होने के लिए **Annexure-3** पर घोषणा पत्र।

3— **वित्तीय प्रस्ताव के सील्ड लिफाफे के अन्दर केवल Annexure-2** वित्तीय प्रस्ताव ही विधिवत प्रस्तुत किया जाएगा, अन्य कोई भी अभिलेख आदि इसमें नहीं रखा जाएगा। वित्तीय प्रस्ताव सम्बन्धी लिफाफे के बाहर शीर्ष में **''EVM & VVPAT बैट्रियों के निस्तारण हेतु वित्तीय प्रस्ताव'' लिखा होना चाहिए।**

4—जनपदवार उपलब्ध ''EVM & VVPAT बैट्रियों का विवरण (यह संख्या घट अथवा बढ़ सकती है):—

क्र.सं.	जनपद का नाम	EVM(CU) Batteries	VVPAT Batteries	कुल योग
1	हरिद्वार (रोशनाबाद) (हरिद्वार सहित गढ़वाल मण्डल के सभी जनपदों की)	**31857**	**26119**	**57976**
2	उधमसिंह नगर (रूद्रपुर) (जनपद ऊधमसिंह नगर सहित कुमायूँ मण्डल के सभी जनपदों की)	**24391**	**24491**	**48882**
योग—		56,248	50,610	1,06,858

5—**EVM & VVPAT बैट्रियों के निस्तारण के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश :—**

5.1— इच्छुक बोलीदाता को बैट्री/ई—कचरे के संग्रहण/नष्टीकरण अथवा पुनर्चक्रण आदि के सम्बन्ध में किसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत/अधिकृत होना चाहिए।

5.2— EVM & VVPAT की अल्कालाईन बैट्रियों (प्लास्टिक मोल्डेड बॉक्स सहित) के निस्तारण के सम्बन्ध में राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2022 में जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से इनके निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

5.3— इच्छुक बोलीदाता द्वारा EVM & VVPAT की बैट्रियों का नमूना किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समय पर या तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में देखा जा सकता है, या किसी भी जिला निर्वाचन कार्यालय उत्तराखण्ड में देखा जा सकता है।

5.4— VVPAT की एक वैट्री में अन्दर लगभग—30 अल्कालाईन सेल उपलब्ध हैं, और इस पूरी बैट्री का **वजन (प्लास्टिक मोल्डेड बॉक्स सहित) लगभग 803 ग्राम है।**

5.5— CU (Control Unit) की एक वैट्री में अन्दर लगभग—05 अल्कालाईन सेल उपलब्ध हैं, और इस पूरी बैट्री का **वजन (प्लास्टिक मोल्डेड बॉक्स सहित) लगभग 185 ग्राम है।**

5.6— उच्च वित्तीय प्रस्ताव/बोली के आधार पर सफल बोलीदाता को कार्यादेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर जिला निर्वाचन कार्यालय **हरिद्वार (रोशनाबाद)** तथा जिला निर्वाचन कार्यालय **ऊधमसिंह नगर (रूद्रपुर)** के कार्यालय भण्डार से, जहां है जैसी है की स्थिति के अनुसार EVM & VVPAT अनुपयोगी तथा निष्प्रयोज्य हो चुकी बैट्रियों को उठाना अनिवार्य होगा।

5.7— उच्च वित्तीय प्रस्ताव/बोली के आधार पर नियमानुसार अंतिम रूप से सफल बोलीदाता को कार्यादेश जारी करने से पूर्व कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में, उच्च बोली के अनुसार आगणित कुल धनराशि को नियमानुसार शासकीय लेखाशीर्षक के द्वारा कोषागार चालान के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। लेखाशीर्षक के सम्बन्ध में सफल बोलीदाता को यथा समय अवगत करा दिया जाएगा।

5.8— उक्त प्रस्तर—5.7 के अनुसार निर्धारित धनराशि जमा करने के उपरान्त ही सफल बोलीदाता को नियमानुसार कार्यादेश जारी किया जाएगा।

5.9— निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सशर्त कोई भी प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा।

5.10— डाक अथवा कोरियर के वितरण में किसी प्रकार के विलम्ब के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा, इस हेतु बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

5.11— कंसोर्टियम/संयुक्त बोलीदाता के रूप में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5.12— नियमानुसार अंतिम रूप से उच्च बोली के आधार पर सफल बोलीदाता की जमानत की धनराशि को विधिवत कार्य की समाप्ति के पश्चात ही, निर्धारित शपथ—पत्र प्रस्तुत करने के फलस्वरूप ही अवमुक्त किया जाएगा।

5.13— सफल बोलीदाता को कार्यपूर्ति के फलस्वरूप **Annexure-4** के अनुसार रू0 **100.00 के नॉन जूडिशियल** स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि, उसके द्वारा EVM & VVPAT की अनुपयोगी तथा निष्प्रयोज्य हो चुकी बैट्रियों का निस्तारण, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की

अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2022 में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया गया।

5.14– किसी भी बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा बोली की प्रक्रिया को बिना किसी कारण बताए निरस्त/रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। उक्त के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। उक्त बोली की प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में न्यायाधिकार क्षेत्र देहरादून मुख्यालय होगा।

5.15– जिला निर्वाचन हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर के कार्यालय भण्डार से EVM & VVPAT की अनुपयोगी तथा निष्प्रयोज्य हो चुकी बैट्रियों को उठाने, उनकी लोडिंग, अनलोडिंग एवं परिवहन तथा मजदूर आदि सम्पूर्ण व्यय सफल बोलीदाता द्वारा ही किया जाएगा।

5.16– EVM & VVPAT की अनुपयोगी तथा निष्प्रयोज्य हो चुकी बैट्रियों को जिला निर्वाचन कार्यालय हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर के कार्यालय भण्डार से उठाने, उनकी लोडिंग, अनलोडिंग एवं परिवहन आदि के संदर्भ में सफल बोलीदाता द्वारा प्रोटोकॉल/सुरक्षा मानकों के संदर्भ में सभी एहतियाती उपाय सुनिश्चित किए जाऐगें।

5.17– EVM & VVPAT की अनुपयोगी तथा निष्प्रयोज्य हो चुकी बैट्रियों के परिवहन तथा निस्तारण आदि के समय किसी भी प्रकार की आकस्मिक/अप्रिय घटना/दुर्घटना आदि के लिए बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा, विभाग द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार क्षतिपूर्ति आदि का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5.18– EVM & VVPAT की अनुपयोगी तथा निष्प्रयोज्य हो चुकी बैट्रियों के जिला निर्वाचन कार्यालय से उठान, उनके परिवहन एवं नियमानुसार निस्तारण आदि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत को अत्यंत गम्भीरता से लिया जाएगा और बोलीदाता के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही के लिए विभाग के पास सर्वाधिकार सुरक्षित होंगें।

5.19– इच्छुक बोलीदाता को उक्तानुसार बिन्दु संख्या–2.9 एवं बिन्दु संख्या–3 के अनुसार दो अलग–अलग सील्ड लिफाफों में तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा और इन दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखकर उस बड़े लिफाफे के बाहर शीर्ष में **''EVM & VVPAT की अनुपयोगी तथा निष्प्रयोज्य बैट्रियों के निस्तारण के सम्बन्ध में तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्ताव''** लिखा होना चाहिए। यह बड़ा लिफाफा सील्ड होना चाहिए तथा **मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड** को सम्बोधित करने के साथ ही लिफाफे पर नीचे बांई ओर बोलीदाता फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर साफ–साफ लिखा होना चाहिए।

5.20– तकनीकी प्रस्ताव के लिफाफे के अन्दर कोटेशन आमंत्रण सूचना के इस सम्पूर्ण अभिलेख की एक प्रति भी (संशोधन सहित यदि कोई हो) प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी, जिसके प्रत्येक पेज पर बोलीदाता फर्म के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं मुहर भी लगी होनी चाहिए।

5.21– अंतिम रूप से तकनीकी अर्हता प्राप्त, उच्च बोली के आधार पर समिति द्वारा एल–1 में वर्गीकृत बोलीदाता के अतिरिक्त शेष अन्य तकनीकी अर्हता प्राप्त सफल बोलीदाताओं की जमानत की धनराशि वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने के 15 दिन के पश्चात अवमुक्त की जाएगी। तकनीकी रूप से अनर्ह बोलीदाता की जमानत की धनराशि यथा समय शीघ्र अवमुक्त कर दी जाएगी।

5.22– तकनीकी रूप से अंतिम अर्हता प्राप्त जिस सफल बोलीदाता के वित्तीय प्रस्ताव के अनुसार बोली के कुल योग की धनराशि सर्वाधिक होगी, उसी के अनुसार संबंधित बोलीदाता को एच–1 में वर्गीकृत किया जाएगा।

(डा. विजय कुमार जोगदण्डे)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

ANNEXURE-1

"EVM & VVPAT की अनुपयोगी तथा निष्प्रयोज्य बैट्रियों के निस्तारण के सम्बन्ध में
बोलीदाता का सूचना पत्रक।

1–	बोलीदाता फर्म आदि का नाम एवं पूरा डाक पता :–	
2–	बोलीदाता फर्म का जीएसटी नम्बर–	
3–	बोलीदाता फर्म/फर्म स्वामी का पैन नम्बर –	
	बोलीदाता फर्म के अधिकृत व्यक्ति का नाम नाम, पिता/पति का नाम –	
	बोलीदाता फर्म के अधिकृत व्यक्ति का मोबाईल नम्बर :–	
	फर्म के निदेशक/स्वामी का नाम :–	
	फर्म के पक्ष में बैट्री/ई–कचरा आदि के निस्तारण के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र का दिनांक एवं उसकी वैधता की तिथि :–	
	बोलीदाता फर्म का टर्नओवर (न्यूनत्तम रू0 5.00लाख होना चाहिए) 1.वित्तीय वर्ष– 2023–24 2.वित्तीय वर्ष– 2024–25 3.वित्तीय वर्ष– 2025–26 4.क्या प्रत्येक वर्ष की नेटवर्थ पॉजीटिव है (हाँ/नहीं)	

बोलीदाता फर्म के अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
मोबाईल नम्बर ....

फर्म की मुहर ....

ANNEXURE-2

EVM & VVPAT की अनुपयोगी तथा निष्प्रयोज्य बैट्रियों के निस्तारण के सम्बन्ध में वित्तीय प्रस्ताव।

बोलीदाता फर्म का नाम :–

फर्म का पूरा पताः–

टेलीफोन/मोबाइल नम्बरः

ईमेल आईडीः–

वस्तु का विवरण	कुल मात्रा	फर्म द्वारा प्रति बैट्री के लिए बोली के रूप में अंकित धनराशि जीएसटी आदि सहित (रूपये में)	बोली की कुल धनराशि (प्रति बैट्री बोली की धनराशि X कुल बैट्री) जीएसटी आदि सहित रूपये में)
1	2	3	4
EVM (CU) अनुपयोगी/ निष्प्रयोज्य अल्कालाईन बैट्री (प्लास्टिक मोल्डेड बॉक्स सहित)	56,248 (छपपन हजार दो सौ अड़तालीस)		
VVPAT अनुपयोगी/ निष्प्रयोज्य अल्कालाईन बैट्री (प्लास्टिक मोल्डेड बॉक्स सहित)	50,610 (पच्चास हजार छः सौ दस)		
कुल योग रू0–			
कुल योग की धनराशि शब्दों में :–			

नोट– बोली की कुल योग की उच्चत्तम धनराशि के अनुसार ही तकनीकी अर्हता प्राप्त संबंधित बोलीदाता को एच–1 में वर्गीकृत किया जाएगा। उक्तानुसार वर्गीकृत एच–1 फर्म की ही बैट्रियों के निस्तारण हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

बोलीदाता फर्म के अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

मोबाईल नम्बर ....

फर्म की मुहर ....

ANNEXURE-3

—: घोषणा :—

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैंने/मेरे प्रतिनिधि ने कोटेशन में अंकित जनपदवार सूची के अनुसार उक्त अनुपयुक्त/निष्प्रोज्य EVM एवं VVPAT Batteries का निरीक्षण किया है और मैं/हम उपरोक्त तालिका में उल्लिखित जनपदों में "जहां है जैसा है" के आधार पर इन्हें खरीदने के इच्छुक है। मैं/हम समझते हैं कि नियमों और शर्तो का पालन न करने की स्थिति में हमारा कोटेशन रद्द कर दिया जाएगा, और हमारे विरूद्ध विधिक कार्यवाही सहित हमारी जमानत की धनरशि जब्त की जाएगी।

मैं/हम एतद्द्वारा यह भी घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में बैट्रियों / ई–कचरा के संग्रहण /नष्टीकरण अथवा पुनर्चक्रणकर्ताओं आदि के रूप में पंजीकृत/अधिकृत है, तथा हमारे पास ई–कचरे के संग्रहण/ निस्तारण/ पुनर्चक्रण के लिए वैध पंजीकृत प्रमाण पत्र सहित, पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रबन्धन की समुचित सुविधाएं है।

दिनांक :–

बोलीदाता फर्म के अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

मोबाईल नम्बर ....

फर्म की मुहर ....

ANNEXURE-4

EVM & VVPAT की अनुपयोगी तथा निष्प्रयोज्य बैट्रियों के निस्तारण के सम्बन्ध में
शपथ–पत्र।

समक्ष :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

मै, ...(श्री / श्रीमती / कुमारी) ... .(पिता / पति) ....(पूरा पता) फर्म का नाम एवं पूरा पता.. .... सत्यनिष्ठा एवं शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि, मुझे / हमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड से राज्य के सभी 13 जनपदों के सापेक्ष जनपद मुख्यालय हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में जहां है जैसी है की स्थिति के अनुसार EVM & VVPAT की कुल ....अनुपयोगी तथा निष्प्रयोज्य बैट्रियों के निस्तारण के सम्बन्ध में आदेश संख्या .... दिनांक .... को कार्यादेश प्राप्त हुआ है।

उक्त आदेश के अनुपालन में हमारे द्वारा दिनांक ....को जनपद मुख्यालय हरिद्वार (रोशनाबाद) तथा ऊधमसिंह नगर (रूद्रपुर) से उल्लिखित बैट्रियां प्राप्त कर उनका केन्द्रीय / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा–निर्देशों एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2022 (अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन नियम) में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ही पर्यावरण की दृष्टि से विधिवत निस्तारण किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इन बैटरियों को किसी भी प्रकार से लैंडफिल में फेंकने, या उनके निस्तारण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। भविष्य में फर्म के स्तर पर उक्त बैट्रियों के निस्तारण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आने पर इसके लिए फर्म उत्तरदायी होगी।

शपथकर्ता